

बिहार सरकार,  
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०-निग/सारा-एन०एच०-आरोप-29/2017 5318 (5) पटना, दिनांक :- 12/7/18

श्री रवि प्रकाश लोकेश, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति : सेवानिवृत्त (दिनांक-31.03.2016) कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद में रोहतास जिलान्तर्गत एन०एच०-2 सी० (रोहतास-चुटिया-यदुनाथपुर) के पदस्थापन काल में कराये गये कार्य की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-2 से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-2 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कराये गये कार्य में पायी गयी त्रुटियों के संबंध में विभागीय पत्रांक-2438 (ई) दिनांक-10.04.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. उक्त संबंध में श्री लोकेश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा के उपरांत स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-7124 (एस) दिनांक-10.08.17 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 (सी) के तहत कारण पृच्छा किया गया। श्री लोकेश द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-09.02.18 के माध्यम से अपना कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। श्री लोकेश द्वारा समर्पित कारण पृच्छा उत्तर की तकनीकी समीक्षा विभागीय तकनीकी समिति से करायी गयी।

3. श्री लोकेश के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा उत्तर पर विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा स्वतंत्र रूप से की गयी समीक्षा के उपरांत यह मंतव्य गठित किया गया है कि PWD Code के अनुसार, कार्यपालक अभियंता को कनीय अभियंता की तुलना में मात्र 10 प्रतिशत कार्यों की ही गुणवत्ता/विशिष्टि के लिए जिम्मेवार माना जाता है। ऐसी स्थिति में सामान्य मामले में सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (सी) के तहत कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी तकनीकी समीक्षा को दृष्टिपथ में रखते हुए मामले के सम्यक् विचारोपरांत श्री रवि प्रकाश लोकेश, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति : सेवानिवृत्त (दिनांक-31.03.2016) कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा उत्तर को स्वीकार किया जाता है।

5. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव (निगरानी),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 12/7/18

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव (निगरानी),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

5319(5)

पटना, दिनांक :- 12/7/18

प्रतिलिपि :-

उप सचिव, प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना को विभागीय web site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक :-

5319(5)

सरकार के उप सचिव (निगरानी),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 12/7/18

प्रतिलिपि :-

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी-ऑन-सोन/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव प्रभारी प्रशाखा-1, पथ निर्माण विभाग/अवर सचिव (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/6/13/14/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रवि प्रकाश लोकेश, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति : सेवानिवृत्त (दिनांक-31.03.2016) कार्यपालक अभियंता, एच0-433, दूसरा तल्ला, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

सरकार के उप सचिव (निगरानी),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अरिन्दु  
12/7/18